

WHO द्वारा गर्भपात संबंधित देखभाल पर नए दशिया-नरिदेश

प्रलमिस के लयि:

गर्भपात, वशिव स्वास्थय संगठन, टेलीमेडसिनि ।

मेन्स के लयि:

महिलाओं से संबंधित मुद्दे, स्वास्थय, मानव संसाधन, महत्त्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान, गर्भपात पर डब्ल्यूएचओ के दशिया-नरिदेश, भारत में गर्भपात संबंधी नीतियाँ ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [वशिव स्वास्थय संगठन](#) (World Health Organization- WHO) द्वारा गर्भपात से संबंधित देखभाल पर नए दशिया-नरिदेश प्रस्तुत किये गए हैं । WHO द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि इन नियमों से सालाना 25 मिलियन से अधिक असुरक्षित गर्भपात को रोका जा सकेगा ।

- नए दशिया-नरिदेशों में प्राथमिक देखभाल स्तर पर कई सफ़ाई शामिल हैं जो महिलाओं और लड़कियों को प्रदान की जाने वाली गर्भपात देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करती हैं ।
- नए दशिया-नरिदेश इच्छुक देशों को गर्भनरोधक, परिवार नियोजन और गर्भपात सेवाओं से संबंधित राष्ट्रीय नीतियों व कार्यक्रमों को लागू करने तथा मज़बूत करने में मदद करेंगे, जसिसे उन्हें महिलाओं व लड़कियों की देखभाल के उच्चतम मानक प्रदान करने में मदद मिलेगी ।

गर्भपात की वैश्विक स्थिति:

- वशिव स्तर पर सुरक्षित गर्भपात प्रदान करने में वफ़िलता के कारण वार्षिक रूप से 13,865 से 38,940 महिलाओं की जान जाती है ।
 - विकासशील देश 97 प्रतिशत असुरक्षित गर्भपात का भार वहन करते हैं ।
- असुरक्षित गर्भपात का अनुपात भी कम प्रतिबंधात्मक कानूनों वाले देशों की तुलना में अत्यधिक प्रतिबंधात्मक गर्भपात कानूनों वाले देशों में काफी अधिक है ।
- आधे से अधिक (53.8%) असुरक्षित गर्भपात एशिया में होते हैं, जनिमें से अधिकांश दक्षिण और मध्य एशिया में होते हैं । अफ़्रीका में एक-चौथाई (24.8%) मुख्य रूप से पूर्वी व पश्चिमी अफ़्रीका में तथा पाँचवाँ हिस्सा (19.5%) लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन में होता है ।
- गर्भपात देखभाल के लिये सबसे अधिक कानूनी प्रतिबंधों वाले नमिन-आय वाले देशों में गर्भपात की दर सबसे अधिक थी ।
- प्रकरिया पर कानूनी प्रतिबंध वाले देशों में गर्भपात की संख्या में 12% की वृद्धि हुई, जबकि उन देशों में गर्भपात की संख्या में थोड़ी गिरावट आई जहाँ गर्भपात व्यापक रूप से कानूनी है ।

डब्ल्यूएचओ द्वारा नए दशिया-नरिदेश:

- **टास्क शेयरिंग:**
 - इनमें स्वास्थय कार्यकर्ताओं की एक वसितृत शृंखला द्वारा कार्य साझा करना शामिल है; चकितिसा गर्भपात गोलियों तक पहुँच सुनिश्चित करना, जसिका अर्थ है कि अधिक महिलाएँ सुरक्षित गर्भपात सेवाएँ प्राप्त कर सकती हैं और यह सुनिश्चित करना कि देखभाल के बारे में सटीक जानकारी उन सभी को उपलब्ध है जनिहें इसकी आवश्यकता है ।

टेली मेडसिनि:

- इसमें टेली मेडसिनि के उपयोग की सफ़ाई भी शामिल हैं, जसिने कोविड-19 महामारी के दौरान गर्भपात और परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुँच में मदद की ।
- **राजनीतिक बाधाओं को दूर करना:**
 - यह सुरक्षित गर्भपात के लिये चकितिसकीय रूप से अनावश्यक राजनीतिक बाधाओं को दूर करने की भी सफ़ाई करता है, जैसे कि

अपराधीकरण, अनुरोधित गर्भपात करने से पहले अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि, गर्भपात के लिये तृतीय-पक्ष प्राधिकरण, प्रतर्बिध जसि पर स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता गर्भपात सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं।

- इस तरह की बाधाएँ उपचार तक पहुँचने में गंभीर देरी का कारण बन सकती हैं और महिलाओं एवं लड़कियों को असुरक्षित गर्भपात, कलंक व स्वास्थ्य जटिलताओं के जोखिम में डाल सकती हैं, जबकि शिक्षा तथा उनकी काम करने की क्षमता में भी बाधाएँ बढ़ रही हैं।
 - गर्भपात तक पहुँच को प्रतर्बिधित करने से गर्भपात की संख्या कम नहीं होती है। वास्तव में प्रतर्बिध महिलाओं और लड़कियों को असुरक्षित प्रथाओं में धकेलने की अधिक संभावना रखते हैं।

■ सक्षम वातावरण प्रदान करना:

- देखभाल तक उनकी पहुँच को आकार देने और उनके स्वास्थ्य परिणामों को प्रभावित करने में एक व्यक्ति का परविश महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- एक सक्षम वातावरण गुणवत्तापूर्ण व्यापक गर्भपात देखभाल का आधार है।
- गर्भपात देखभाल के लिये एक सक्षम वातावरण के तीन आधार हैं:
 - कानून और नीति के सहायक ढाँचे सहित मानवाधिकारों का सम्मान।
 - सूचना की उपलब्धता और पहुँच।
 - सहायक, सार्वभौमिक रूप से सुलभ, सस्ती और अच्छी तरह से काम करने वाली स्वास्थ्य प्रणाली।



सुरक्षित गर्भपात हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

- सरकार [राष्ट्रीय स्वास्थ्य मशिन](#) के RMNCH+A (प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल और कशोर स्वास्थ्य) कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं में महिलाओं को सुरक्षित व व्यापक गर्भपात देखभाल सेवाएँ प्रदान करती है।
- सुरक्षित गर्भपात तकनीकों में गर्भपात के बाद देखभाल को बढ़ावा देने के लिये चिकित्सा अधिकारियों और सहायक नर्स मडिवाइफ कार्यकर्त्ताओं, [मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता \(आशा\)](#) तथा अन्य पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण, सुरक्षित गर्भपात के लिये गोपनीय परामर्श प्रदान करना।
- गुणवत्तापूर्ण व्यापक गर्भपात देखभाल सेवाएँ प्रदान करने के लिये नज्दी और गैर-सरकारी संगठन (NGOs) क्षेत्र की सुविधाओं का प्रमाणन।
- गर्भावस्था का शीघ्र पता लगाने के लिये उप-केंद्रों को गर्भावस्था जाँच कटि की आपूर्ति।
- [मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी](#) (MTP) संशोधन अधिनियम, 2021 व्यापक देखभाल हेतु सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये चिकित्सीय, मानवीय और सामाजिक आधार पर सुरक्षित एवं कानूनी गर्भपात सेवाओं तक पहुँच का वसितार करता है।

आगे की राह

- कानूनी और सुरक्षित गर्भपात तक पहुँच यौन व प्रजनन समानता का एक अभिन्न आयाम है, यह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा है, इसे लोकतंत्र पर समकालीन बहस में एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व के रूप में देखा जाना चाहिये, जो सभी प्रकार के भेदभाव से घृणा करने वाला न्यायपूर्ण समाज प्रदान

करना चाहता है।

- सुरक्षित गर्भपात का अधिकार महिलाओं के शारीरिक अखंडता, जीवन के अधिकार और समानता के अधिकार का एक महत्वपूर्ण पहलू है, इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है।

स्रोत: डाउन टू अर्थ

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/new-guidelines-on-abortion-care-by-who>

